रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2004/पौष 22, 1925

No. 44] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2004/PAUSA 22, 1925

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

(आय-कर)

**का.आ. 50(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, --

(i) नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ख) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह भी कि ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, जहां, -

क) उसकी कुल आय में 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य आय सम्मिलित है ;

ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करने से पूर्व वेतन से उसकी आय एक लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है ;

ग) उसकी कुल आय में 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' या 'पूंजी अभिलाभ' या कृषि आय शीर्षों के अधीन आयकर से प्रभार्य आय सम्मिलित नहीं है ; और

घ) वह ऐसी कोई अन्य आय प्राप्त नहीं कर रहा है जिससे नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की गई है,

वहां निर्धारिती के पास प्ररूप सं016कक में विवरणी फाइल करने का विकल्प भी होगा ।" ;

(ii) नियम 31 के उपनियम (1) के खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु ऐसे किसी व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है, जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन वेतन से कटौतियां अनुज्ञात करने से पूर्व उसकी आय एक लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है, वहां स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र प्ररूप सं0 16कक में होगा । ";

(iii) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं0 16क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" प्ररूप सं. 16कक

[नियम 12(1)(ख) का तीसरा परंतुक और नियम 31(1)(क) देखिए]

" वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर काटे गए कर के लिए प्रमाणपत्र - सह-आय की विवरणी

ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, जहां, -

क) उसकी कुल आय में 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य आय सम्मिलित है ;

ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन वेतन से कटौतियां अनुज्ञात करने से पूर्व उसकी आय एक लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है ;

ग) उसकी कुल आय में 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' या 'पूंजी अभिलाभ' या कृषि आय शीर्षों के अधीन आयकर से प्रभार्य आय सम्मिलित नहीं है ; और

घ) वह ऐसी कोई अन्य आय प्राप्त नहीं कर रहा है जिससे नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की गई है,

| | |
|---|---|
| नियोजक का नाम और पता | कर्मचारी का नाम और पदनाम |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| स्थायी लेखा संख्यांक/जी आई आर सं. (पैन) | कर कटौती संख्यांक (टैन) | लेखा | स्थायी लेखा संख्यांक/जी आई आर सं. |
| स्रोत पर कर कटौती सर्किल जहां धारा 206 के अधीन वार्षिक विवरणी/ विवरण फाइल किया जाना है | अवधि | | |
| | से | तक | निर्धारण वर्ष ..... |

संदाय किए गए वेतन और किसी अन्य आय और कटौती किए गए कर के ब्यौरे

1. सकल वेतन

(क) धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन .............. रु.

(ख) धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य .............. रु.
(प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां लागू हो)

(ग) धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ
(प्ररूप सं. 12खक के अनुसार जहां लागू हो) ......... रु.

(घ) योग .............. रु.

2. घटाएं : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक .......... रु.
भत्ते .......... रु.
.......... रु. .............. रु.

3. अतिशेष (1-2) .............. रु.

4. धारा 16 के अधीन कटौतियां :

(क) मानक कटौती ............ रु.

(ख) मनोरंजन भत्ता ............ रु.

(ग) नियोजन पर कर ............ रु.

5. 4(क) से (ग) तक का योग .......... रु.

6. "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय .............. रु. 701......

7. जोड़ें : कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट
की गई कोई अन्य आय

(क) 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन आय 702

(ख) 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय 706

(ग) ऊपर (क) + (ख) का योग .............. रु.

8. सकल कुल आय (6+7) ............. रु. 746 ......

9. अध्याय 6क के अधीन कटौतियां

| | सकल रकम | अर्हक रकम | कटौती योग्य रकम |
|---|---|---|---|
| (क) 80गगग | ................. रु. | ................. रु. | 235 |
| (ख) 80घ | ................ रु. | ................. रु. | 236 |
| (ग) 80ङ | ................. रु. | ................. रु. | 239 |
| (घ) 80छ | ................. रु. | ................. रु. | 242 |
| (ङ) 80ठ | ................. रु. | ................. रु. | 260 |
| (च) 80थथख | ................. रु. | ................. रु. | 275 |
| (छ) 80ददख | ................. रु. | ................. रु. | 282 |
| (ज) एस ई सी | ............... रु | ............... रु | |

10. अध्याय 6क के अधीन कटौती योग्य रकमों का योग 747

11. कुल आय (8-10) 760

12. कुल आय पर कर 810

13. अध्याय 8 के अधीन रिबेट

I धारा 88 के अधीन
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

| | सकल रकम | अर्हक रकम | कर रिबेट |
|---|---|---|---|
| (क) | ..... रु. | ..... रु. | |
| (ख) | ..... रु. | ..... रु. | |
| (ग) | ..... रु. | ..... रु. | |
| (घ) | ..... रु. | ..... रु. | |
| (ङ) | ..... रु. | ..... रु. | |
| (च) | | | |
| (छ) योग (क) से (च) तक | ..... रु. | ..... रु. | 812 |

II. (क) धारा 88ख के अधीन 813
(ख) धारा 88ग के अधीन 814.

14. ऊपर 13 [I (छ) + II (क) + II(ख)] पर कर रिबेटों का योग 820
15. कुल आय पर संदेय कर (12-14) और उस पर अधिभार 832
16. घटाएं धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरे संलग्न करें) : 837
17. बकाया संदेय कर (15-16) 841
18. घटाएं :
(क) धारा 192 (1) के अधीन स्रोत पर काटा गया कर 868
(ख) धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों पर धारा 192(1क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा संदाय किया गया कर 872 873
19. संदेय / प्रतिदेय कर (17-18) 891

कटौती किए गए और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर के ब्यौरे

| रकम | संदाय की तारीख | उस बैंक का नाम और शाखा, जिसमें कर जमा किया गया |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

मैं ..... पुत्र श्री ..... जो ..... (पदनाम) की हैसियत में कार्यरत हूं, प्रमाणित करता हूं कि ..... रुपए ..... रुपए (शब्दों में) की राशि की स्रोत पर कटौती कर ली गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी लेखाबहियों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्य और सही है ।

स्थान : .....

कर की कटौती के लिए
उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख : .....

पूरा नाम .....
पदनाम .....

## निर्धारिती द्वारा भरे जाने के लिए

1. निर्धारिती का नाम
2. पता पिन टेलीफोन
3. जन्म तिथि 4. लिंग पुरुष / स्त्री 5. निर्धारण वर्ष
6. वार्ड / सर्किल / विशेष रेंज 7. विवरणी : मूल या पुनरीक्षित
8. बैंक खाते की विशिष्टियां (प्रतिदाय के संदाय के लिए)

| बैंक का नाम | एम.आई.सी.आर कोड | बैंक शाखा का पता | खाते का प्रकार | खाता संख्यांक |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## निर्धारिती द्वारा सत्यापन

मैं ..... (पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र / पुत्री श्री ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं / करती हूं कि निर्धारण वर्ष ..... से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आय-कर से प्रभार्य आय की बाबत इस विवरणी में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही, पूर्ण और सत्यता से कथित की गई है और आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है ।

रसीद सं..... तारीख .....
मुद्रा
प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्धारिती के हस्ताक्षर
तारीख :
स्थान :

[अधिसूचना सं. 12/2004/फा. सं. 142/03/2004-टी.पी.एल.]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii), तारीख 26 मार्च, 1962 में का.आ. 969(अ) के अधीन प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 1335(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था।